यहॉ यह उल्लेखनिय है कि प्रतिवादी संख्या 2 जरिये अधिवक्ता प्रकरण में उपस्थित था जिसके द्वारा न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 2 के देहान्त होने पर वाद अवेट में खारिज करने का पेश करने पर होना अवगत करवाया गया है जो कुछ हद तक स्वीकार किया जा सकता है क्योकि वादी गांव में निवास करता था प्रतिवादी संख्या 2 शहर कस्वा नोहर में निवास होना पाया जाता है

वादीगण ने अपने पिता वादी सन्तलाल के स्थान पर पक्षकार बनने का भी देरीना से पेश किया गया है जिसका कारण वाद न्यायालय में विचाराधीन नही होने की जानकारी नही होना अवगत करवाया है जबकि प्रतिवादी का विरोध है कि उसे प्रकरण के विचाराधीन होने का ज्ञान था फिर भी देरीना की गई है पिता के द्वारा वाद न्यायालय में पेश किया गया था हो सकता है पूत्रों को वाद या वाद के अधिवक्ता के सम्बध में जानकारी ना हो

किसी भी पक्षकार के द्वारा देरी से प्रार्थना पत्र पेश करने के कारण उसे सुनवाई एवं अपने पक्ष में तथ्य प्रस्तुत करने से वंचित किया जाना न्यायोचित भी नही है सभी पक्षकारो को न्यायालय में सम्पूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर दिया जाना न्यायोचित है।

अतः वादी /प्रार्थी के दोनो प्रार्थना पत्र उपरोक्त विवेचन के आधार पर 300/– कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर वादी सन्तलाल के स्थान पर उसके विधिक वारिसान प्रार्थीगण को पक्षकार बनाया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 जगदीश के विधिक वारिसान जो प्रार्थना पत्र में अंकित है को प्रतिवादी संख्या 2 के स्थान पर पक्षकार बनाया जाता है तथा प्रार्थी/वादी को निर्देशित किया जाता है कि वह आगामी तारीख पेशी पर संशोधित शिर्षक आवश्यक तौर से प्रस्तुत करे प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान के रजिस्टर सम्मन से तलब करे आदेशो की पालना के देरीना/अभाव में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है पत्रावली संशोधित शिर्षक /प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान की तलबी हेतु दिनांक 01.10.2025 को पेश हो।

Rahul.

1/10/25 पत्रावली पेश हुई वकील वादी/प्रार्थी उपस्थित नहीं पुन वकील वादी/प्रार्थी को बार बार आवाज लगवाई गई किन्तु वादी या वादी का स्लीपर उपस्थित नही वाद वादी अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जाता है पत्रावली दाखिल दफ्तर हो

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastav
Date: 2025.10.15 17:58:57 IST
Reason: SelfAttested